रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली शनिवार, मई 1, 1971 (वैशाख 11, 1893)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1971 (VAISAKHA 11, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किए गए हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8 Febuary 1971 : —

| अंक संख्या और तिथि (Issue No.) (No. and Date) | द्वारा जारी किया गया (Issued by) | विषय (Subject) |
|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 |

शून्य

-NIL-

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . | 423 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 605 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | — |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 461 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . | — |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . | — |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) | 1465 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . | 1903 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . | 307 |
| भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 545 |
| भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें | 149 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . | 61 |
| भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . | 1019 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . | 89 |
| पूरक संख्या 17— | |
| 17 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बधी साप्ताहिक रिपोर्ट | 663 |
| 27 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . | 673 |

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. 423

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government, Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. 605

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 461

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence), and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. .. 1465

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1903

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 307

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 545

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 149

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 61

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. 1019

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 89

SUPPLEMENT NO. 17

Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 17th April 1971 .. .. 663

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 27th March 1971 673

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

### वित्त मंत्रालय

### (अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1971

सं० एफ० 2(33)-एन०-एस०/70—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को 4 1/2 प्रतिशत ब्याज वाले दस-वर्षीय रक्षा जमा-पत्रों से सम्बन्धित 1 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या एफ० 3(21)-21 एन० एस०/62 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1) के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"1(क) उप-पैराग्राफ (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी ऐसी जमा रकम पर, जिसकी मीयाद पूरी होने में 16 मार्च, 1970 को कम से कम सात वर्ष की अवधि बाकी हो, 16 मार्च, 1971 को या उसके बाद देय होने वाले ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में, 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा । 4.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज निवेश की तारीख से पूरे एक वर्ष बाद की तारीख को अदा किया जाएगा और उसके बाद ब्याज इस तरह की वार्षिक तारीख से 12 क्लेण्डरों मास की अवधि पूरी हो जाने के बाद हर साल अदा किया जाएगा, परन्तु जो अवधि बारह महीने से कम होगी उसके लिए ब्याज अदा न किया जाएगा ।"

प्रकाश नारायण मालवीय, अनु-सचिव

---

### खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

### (कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 अप्रैल 1971

**संकल्प**

सं० 25-3/69-पशुधन विकास-1—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 25-5/66-पशुधन विकास-1, दिनांक 29 जून, 1967 के आंशिक आशोधन में, जो कि संकल्प सं० 25-5/67-पशुधन विकास-1 (ii), दिनांक 20/3/68 और संकल्प संख्या 25-5/67 पशुधन विकास-1, दिनांक 24-4-68 के साथ पढ़ा जाये, केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को गो रक्षा समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाए :—

(क) श्री भागवत साबू, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश को श्री बृज लाल वर्मा, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, मध्य प्रदेश के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए ।

(ख) श्री एन० के० बालकृष्णन, मंत्री (कृषि तथा स्वास्थ्य) केरल को श्री एम० एन० गोविन्दन नायर, भूतपूर्व कृषि तथा विद्युत मंत्री केरल राज्य के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए ।

(ग) डा० धर्म नारायण, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली को डा० अशोक मित्र, भूतपूर्व अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्न को प्रेषित की जाये :—

1. श्री भागवत साबू, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
2. श्री एन० के० बालकृष्णन, मंत्री (कृषि तथा स्वास्थ्य), केरल ।
3. डा० धर्म नारायण, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली ।
4. समस्त राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
5. लोक सभा सचिवालय ।
6. राज्य सभा सचिवालय ।
7. प्रधान मंत्री सचिवालय ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय ।
9. अध्यक्ष, गो रक्षा समिति, नई दिल्ली ।
10. गो रक्षा समिति के समस्त सदस्य ।
11. सचिव, गो रक्षा समिति ।
12. सर्वदलीय गो रक्षा महाभियान समिति ।
13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
14. स्थापना I, II, III, IV, V/लेखा I तथा II, और बजट अनुभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० पी० गुलाटी, उप सचिव

**विदेशी व्यापार मंत्रालय**

**(हस्तशिल्प विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1971

**संकल्प**

सं० 1/8/70-एच० सी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/8/70-एच० सी० दिनांक 7 जनवरी, 1971 का अंशतः आशोधन करते हुए, भारत सरकार ने, श्री रविनाथ झा (कवि) बिहार केबिन, स्टेशन रोड, मधुबनी, जिला दरभंगा (बिहार) को, तत्काल प्रभाव से, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में, मनोनीत करने का विनिश्चय किया है ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बधों को भेजी जाये और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टी० एस० परमेश्वरन, अवर सचिव

---

**(खण्ड "ग" अनुभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1971

**संकल्प**

सं० 4(65)-टैक्स (सी०)/70—भारत सरकार ने श्री शफीकुल्ला अंसारी, मधुबनी, जिला दरभंगा (बिहार) को अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में, जो 19 मई, 1969 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेशी व्यापार मंत्रालय के संकल्प सं० 4(27)/टैक्स (सी०)'69 दिनांक 17 मई 1969 के अन्तर्गत पुनर्गठित किया गया था, सदस्य के रूप में नामित करने का विनिश्चय किया है ।

2. सदस्य का नाम उपरोक्त संकल्प में क्रम संख्या 35 पर जोड़ा गया है ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबद्धों को भेजी जाए ।

एच० के० बंसल, उप सचिव

---

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय**

**(योजना II अनुभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1971

**संकल्प**

सं० एफ० 4-13/70-पी० एल० जी०-II पी० आर०-I—सरकार, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने वाली सोसायटियों/संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के लिये निम्नलिखित नियमों को सहर्ष निर्मित करती है । ये तुरन्त लागू होंगे ।

**विषय** :—वित्त मंत्रालय की अनौपचारिक टिप्पणी सं० 635-ई०-II ए०-71, दिनांक 4-3-1971 के अधीन वित्त मंत्रालय की सहमति से वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम 1958 के नियम 12 (क) के अधीन निर्मित सोसायटियों और संस्थाओं (सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने वाली) के हेतु सहायक अनुदान से संम्बंधित नियम ।

I. **पात्रता** :—

1. इन नियमों के अधीन कोई भी सोसायटी संस्था सहायक अनुदानों के लिए पात्र समझी जाएगी, यदि :—

(क) इसका रूप इस आशय से अखिल भारतीय स्तर का है कि इसकी सुविधायें देश के सभी भागों के विद्यार्थियों और सामाजिक वैज्ञानिकों को सुलभ होंगी तथा इसके संकाय का चयन राष्ट्र व्यापी आधार पर किया जाता है और इसका कार्य अनिवार्यतः राष्ट्रीय महत्व का है ।

(ख) इसका अस्तित्व पिछले पांच वर्षों से कम नहीं होना चाहिए ।

(ग) यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने की पात्र नहीं होनी चाहिए ।

(घ) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत हो अथवा लोक न्यास हो : और

(ङ) सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आई० सी० एस० आर० के प्रतिनिधियों से गठित सामाजिक विज्ञानियों की वीक्षण समिति द्वारा उसके कर्मचारी वर्ग की व्यावसायिक कुशलता उसके अनुसंधान परिणाम की मात्रा और व्यवसाय में उसकी कोटि प्रकाशन और उसके स्थान के आधार पर सक्षम सोसायटी/संस्था ठहराई जाती है ।

2. जब कोई सोसायटी/संस्था इन नियमों के अधीन पहली बार सहायक अनुदान के लिए प्रार्थना करती है तो उसके अनुरोध को, उचित जांच करके वीक्षण समिति को भेजा जाएगा, जो नियम I (ङ) में दिये गए सभी मामलों पर, उसकी वित्तीय स्थिति और ऐसे अन्य मामले जिसके लिए सरकार निदेश दे अपनी रिपोर्ट देगी । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार निर्णय करेगी कि सोसायटी/संस्था इस योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान के लिए पात्र है, अथवा नहीं ।

II. **सहायता की प्रतिरूप किस्में** :

3. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सहायक-अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए होंगे :—

(क) विकास :—अर्थात अनुमोदित व्यावसायिक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों (जिसमें पुस्तकालय, प्रलेख इत्यादि सेवा के कार्मिक भी शामिल हैं) और अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए और भवन निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय, और उपस्करों के लिए व्यवस्था के लिए एक योजना अवधि में अनुदान दिए जाते हैं ।

(ख) **अनुरक्षण** :—

अर्थात उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मदों पर ही आवर्ती अनुदान दिए जाते हैं, परन्तु केवल उन्हीं पदों और अध्येतावृत्तियों के लिए जिनका अस्तित्व पांच वर्ष की अवधि से कम न हो और जिनकी सहायता ऊपर (क) के अधीन न की गई हो।

4. (1) किसी भी सोसायटी/संस्था को नियम 3 के अन्तर्गत स्वीकृत सहायक अनुदान में यह शामिल हो सकते हैं :—

(क) किसी विशिष्ट अवधि के लिए एक मुश्त अनुदान, अथवा

(ख) उसके व्यावसायिक कर्मचारियों और सेवाओं पर होने वाले अनुरक्षण और विकास सम्बन्धी व्यय के उतने प्रतिशत का आवर्ती अनुदान जितना सरकार समय-समय पर निर्धारित करे परन्तु ज्यादा से ज्यादा अनुमोदित व्यय का 50 प्रतिशत। अनुदान के लिए आगे अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए होगी।

(ग) कुल व्यय के पूंजीगत व्यय के लिए 50 प्रतिशत के अनुदान किन्तु अधिकतम सीमा एक लाख रुपए होगी।

4. (2) प्रशासकीय खर्च के लिए सहायक-अनुदान अनुमोदित खर्च का 25 प्रतिशत होगा किन्तु, अधिकतम सीमा 10,000 रु० वार्षिक होगी।

4. (3) अनुसंधान और अन्य परियोजनाएं जो आई० सी० एस०, एस० आर० की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं उन्हें इस योजना के अधीन सहायता नहीं मिलेगी।

III. **कार्याविधि** :

5. सहायक-अनुदान आवर्ती (अनुरक्षण और विकास) और पूंजीगत किसी सोसायटी संस्थान को निम्नलिखित प्रलेखों की जांच करने के पश्चात स्वीकृत किए जा सकते हैं :—

(क) पूर्व वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और चालू वर्ष के कार्य-कलापों का कार्यक्रम।

(ख) पिछले तीन वर्षों के जांचे हुए लेखों का विवरण और चालू वर्ष का बजट अनुमान जिसमें पहले संस्वीकृत अनुदानों का उपयोग विवरण भी सम्मिलित है।

(ग) भवन निर्माण के नक्शे और प्राक्कलन।

(घ) खरीदे जाने वाले प्रस्तावित उपस्करों की मूल्य सहित सूचियां।

(ङ) उस परियोजना/योजना का ब्यौरेवार विवरण जिसके लिए सहायता मांगी गई है तथा उसकी अवधि, कार्यान्वयन की योजना और उसके उद्देश्य; और

(च) परियोजना/योजना का वित्तीय विवरण, जिसमें आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च के विषयवार ब्यौरे तथा साधन जिनके जरिए धन एकत्र करने का विचार है; दिए गए हों।

6. (क) आवर्ती अनुदान जिसमें अनुरक्षण और विकास अनुदान भी सम्मिलित है और जो एक वर्ष में दिए जाने हैं उन्हें तिमाही किश्तों पर दिया जा सकता है।

(ख) अप्रैल में दी जाने वाली पहली किश्त, दो मास के लिए होगी। कम से कम गैर-जांचे लेखे ही संस्था द्वारा पेश किए जाने के बाद, दूसरी किश्त जुलाई में दी जाएगी।

(ग) सोसायटी/संस्था अक्तूबर महीने के अन्त में पहले निम्नलिखित विवरण सरकार को भेजेगी (i) 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के जांचे लेखे का विवरण (ii) पिछले दो त्रैमासिक किस्तों का आवर्ती व्यय लेखा विवरण जो उसके प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(घ) अनुदान की तीसरी किश्त का भुगतान नवम्बर मास में किया जाएगा इस किश्त के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी मदें हैं जिनके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है सोसायटी/संस्थान द्वारा मांगी गई राशि में से इन मदों से सम्बन्धित सीमा तक की राशि घटा दी जाएगी।

(ङ) चौथी किश्त का भुगतान फरवरी मास में किया जाएगा।

(च) चौथी किश्त का भुगतान करने से पहले सोसायटी/संस्थान पिछली तीन तिमाहियों की अवधि के दौरान में दिए गए अनुदानों का लेखा विवरण और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि से होने वाले खर्च का अनुमान प्रस्तुत करेगी। अनुदानों की पहली तीन त्रैमासिक के अनुदानों की स्वीकृति के बाद उसके लेखा परीक्षा के परिणाम-स्वरूप अथवा किन्हीं और कारणों के फलस्वरूप यदि कोई समायोजन आवश्यक समझा जाए तो वह अनुदान की अन्तिम किश्त स्वीकृत करते समय किया जाएगा।

(छ) संस्वीकृति पूंजीगत अनुदान का भुगतान जब कभी आवश्यक हो किया जाएगा जो कि कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है।

IV. **सहायता की शर्तें, सामान्य** :—

7. सोसायटी/संस्थान को अपने कार्य संचालन में बहुत मितव्ययता बरतनी चाहिए और भवन निर्माण तथा उपस्करों के लिए दिये गए अनुदान के खर्च में भी अधिकतम मितव्ययता बरतनी चाहिए।

8. सारा खर्चा जो भी अनुदानों में से किया जाना है उसकी संस्वीकृति सोसायटी/संस्थान के शासी निकाय द्वारा दी जाएगी अथवा किसी ऐसी गठित निकाय द्वारा जिसको इस प्रकार का खर्चा संस्वीकृत करने का प्राधिकार दिया गया हो या सोसायटी/संस्थान के ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्हें इस प्रकार का खर्चा एक निश्चित सीमा तक करने के विशिष्ट प्राधिकार दिए गए हैं।

9. एक विशेष शीर्ष के अन्तर्गत दिए गए अनुदान का उपयोग उसी कार्य पर किया जाएगा जिसके लिए वह दिया गया हो, इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जब तक की सरकार की पहली अनुमति न ली गई हो।

10. जहां किसी सोसायटी/संस्था द्वारा कुछ विशेष शर्तों के स्वीकृत करने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया गया हो, तो सोसायटी/संस्थान यदि इन शर्तों का पालन नहीं करती है तो उस सोसायटी/संस्था द्वारा प्राप्त हुआ अनुदान सरकार को उसी ढंग से लौटाना होगा जिस प्रकार सरकार द्वारा आदेश किया जाए। और जो आगे के लिए अनुदान बंद भी कर सकती है।

11. सोसायटी/संस्था के कर्मचारी वर्ग के वेतनमान और भत्ते जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आधार पर होंगे।

12. सोसायटी/संस्था के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के लिए सभी राज्यों की महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलने चाहिए। नियुक्तियां सोसायटी/संस्था के प्रबन्धकों द्वारा विधिवत गठित प्रवरण समिति द्वारा की जाएगी।

13. जहां किसी सोसायटी/संस्थान को अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए अनुदान दिया गया हो, अध्येतावृत्ति के नियम सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। चयन किए हुए अध्येताओं के नाम सरकार को समय-समय पर सूचित किए जाएंगे और उनके कार्य की प्रगति-रिपोर्ट जैसा कि निदेश हो, सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

14. जहां सरकार की सहायता से भवनों का निर्माण किया जाना है। वहां उसके नक्शों और प्राक्कलनों को सरकार से पहले ही अनुमोदित करवा लिया जाना चाहिए, और सरकार के अधिकारियों को हर स्तर पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

15. उपस्करों के क्रय करने के लिए जिसके हेतु सहायक अनुदान दिया गया है उसके क्रय करने के आदेश देश ही में दिए जाएं। जब कोई वस्तु यहां उपलब्ध न हो और उसका आयात अनिवार्य हो तो उस स्थिति में ठोस औचित्य दे कर उसका आयात एक निश्चित सीमा तक किया जाए विदेशी कम्पनियों को आदेश देने से पहले सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी।

16. सोसायटी/संस्थान की निकाय में होने वाली परिसम्पत्ति (जिसमें सारे भवन और वे उपस्कर जिसका प्रत्येक का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक सम्मिलित है) उनके पास रखी सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी। संस्था, ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्धारित फार्म में एक रजिस्टर रखेगी और उसकी प्रति सरकार को भेजेगी। इन्हें गिरवी नहीं रखा जाएगा तथा इसका विक्रय या स्थानान्तरण भी नहीं होगा और सरकार की अनुमति के बगैर इसका स्वामित्व भी किसी ढंग से नहीं बदला जाएगा। यदि सोसायटी/संस्था को इसकी अपने उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है तो सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह इसे अपने अधिकार में वापिस ले ले अथवा सोसायटी/संस्था को दिए गए सहायक अनुदान को वापिस मांग ले।

17. अनुदान लेने से पहले, संस्था को निर्धारित फार्म पर बंध-पत्र भरना होगा।

18. इस योजना के अधीन सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को निर्धारित फार्म पर, प्रत्येक वर्ष उपलब्धि-तथा-निष्पत्ति रिपोर्ट भेजनी होगी। इस योजना के अधीन सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कार्य की समय-समय पर पुनरीक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी, किन्तु इस प्रकार का एक पुनरीक्षण पांच वर्ष में अवश्य किया जाएगा।

19. अनुदान को खर्च करने के लिए निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर, अनुदान की खर्च न की गई बकाया राशि को वापिस करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

20. इन नियमों के अधीन अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय नियम के नियम 148 से 151 नियमों तथा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11(39)-एफ० 11 (क)/56, दिनांक 4-1-57 के इस आशय के उपबन्ध का पालन किया जाना चाहिए कि एक लाख रुपए अथवा उससे ऊपर के आवर्ती अनुदान की संस्वीकृति और 5 लाख रुपए से ज्यादा के अनावर्ती अनुदान इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया जाए कि अनुदान ग्राही के लेखों की परीक्षण-जांच भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, अपने विवेक पर जांच कर सकते हैं।

V. **सहायक अनुदान की शर्तें-विशेष** :

21. एक लाख रुपया या इससे अधिक का आवर्ती अनुदान पाने वाली किसी सोसायटी/संस्था को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पालन करना होगा :—

(क) सोसायटी/संस्था एक वित्तीय समिति का गठन करेगी; जिससे शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार (अथवा उसका प्रतिनिधि) एक सदस्य होगा। वित्तीय समिति की बैठक प्रति वर्ष अगस्त और सितम्बर मास में होगी जिसमें वह सोसायटी/संस्थाओं के लिए आने वाले वर्ष के बजट प्रस्तावों को बनाएगी और वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को 30 सितम्बर तक भेजे जाएंगे।

(ख) सोसायटी/संस्था की शासी निकाय पर आई० सी० एस० एस० आर० दो प्रतिनिधियों को नामित करेगी।

(ग) सोसायटी/संस्था का संविधान सरकार द्वारा अनुमोदित करवाना होगा और सोसायटी/संस्था को सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के लिए सहमत होना पड़ेगा।

(घ) सोसायटी/संस्था जो इस योजना के अधीन अनुदान प्राप्त करती हो उसके कार्यसंचालन का सामाजिक पुनरीक्षण सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होगा।

VI. **सहायता का निवर्तन :**

22. यदि कोई सोसायटी/संस्था को नियम 2 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है परन्तु वह नियम 1 में दी हुई पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती या सहायक अनुदान की शर्तों में से किसी का भी बार-बार उलंघन करती है, तो सरकार उस सोसायटी/संस्था को नोटिस देने के बाद इन नियमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के हेतु उन्हें अपात्र घोषित कर सकती है। और सोसायटी/संस्था को इससे पहले दिए गए सहायक-अनुदानों से निर्मित परिसम्पत्तियों का समापन करने के हेतु, ऐसे आदेश भी जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासनों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाए।

त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सचिव

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय**

**(एस० एस० एण्ड० डी० प्रभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1971

सं० एफ० 14(3)/69-एस० आर०-1—राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम संस्थान की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 89(3) के उपबन्धों के अधीन, श्री एस० आर० महता के स्थान पर श्री एस० डी० नरगोलवाला, आई० सी० एस०, अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को 31 जुलाई, 1971 तक निगम के निदेशक मंडल के निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एम० देश भ्रातार, अवर सचिव

**श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय**

**(पुनर्वास विभाग)**

नई दिल्ली-11, दिनांक 12 अप्रैल 1971

**संकल्प**

विषय : **पुनर्वास बोर्ड**

सं० 4(8)/69-पु० बो०—भारत सरकार ने पुनर्वास बोर्ड की सदस्यता से श्री आर० वेंकटरमन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 3(5)/67-आर० एच० V दिनांक 30 जनवरी, 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

1. बोर्ड के सदस्य।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रिमण्डल का सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।
4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाए।

जी० एस० काहलों, सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

*New Delhi, the 14th October* 1970

*No. F2(33)-NS/70.*—The Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. F3(21)-2/NS/62, dated the 1st November 1962 relating to 4½% Ten Year Defence Deposit Certificates, namely :—

In paragraph 2 of the said notification after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) a deposit which had a period of not less than seven years to maturity on the 16th March 1970 will in respect of payment of interest falling due on or after the 16th March, 1971, bear interest at 4.75% per annum. Interest at 4.75% per annum will be paid on the anniversary date of investment and thereafter will be paid annually on the completion of each period of twelve calendar months from the date of such anniversary, no interest being payable for any period which is less than twelve months."

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

**MINISTRY OF FOREIGN TRADE**

**(Handicrafts Sections)**

RESOLUTION

*New Delhi, the 6th April* 1971

*No. 1/8/70-HC.*—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1/8/70-HC, dated the 7th January, 1971 the Government of India have decided to nominate Shri Ravi Nath Jha (Kavi) Bihar Cabin, Station Road, Madhubani Dist. Darbhanga (Bihar), as a member of the All India Handicrafts Board, New Delhi with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

T. S. PARAMESWARAN, Under Secy.

**Textile (C) Section**

RESOLUTION

*New Delhi, the 14th April* 1971

*No. 4(65)-TEX(C)/70.*—The Government of India have decided to nominate Shri Shafiqualla Ansari, Madhubani, Distt. Darbhanga (Bihar), to be member of the All India Handloom Board reconstituted under Government of India

late Ministry of Foreign Trade and Supply Resolution No. 4(27)-TEX(C)/69, dated 17th May, 1969, published in Part I Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary, dated 19th May, 1969.

2. The member has been added at S. No. 35 of the above Resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be sent to all concerned.

H. K. BANSAL, Dy. Secy.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

**(Department of Agriculture)**

RESOLUTION

*New Delhi, the 7th April* 1971

*No.* 25-3/69-*LDI*.—In partial modification of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture Resolution No. 25-5/66 LDI, dated 29th June, 1967 read with Resolution No. 25-5/67-LDI (ii), dated 20-3-1968 and Resolution No. 25-5/67-LDI, dated 24-4-1968, the Central Government have decided that the following persons may be appointed as Members of the Committee on Cow Protection :—

(a) Shri Bhagwat Sabu, Minister for Agriculture, Madhya Pradesh may be appointed as Member in place of Shri Brij Lal Verma, ex-minister of Irrigation, Madhya Pradesh.

(b) Shri N. K. Balakrishnan, Minister (Agriculture and Health) Kerala State may be appointed as Member in place of Shri M. N. Govindan Nair, ex-Minister of Agriculture and Electricity, Kerala State; and

(c) Dr. Dharm Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, New Delhi may be appointed as Member in place of Dr. Ashok Mitra, ex-Chairman, Agricultural Prices Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. Shri Bhagwat Sabu, Minister for Agriculture, Madhya Pradesh, Bhopal.
2. Shri N. K. Balakrishnan, Minister (Agriculture and Health), Kerala.
3. Dr. Dharm Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, New Delhi.
4. All State Governments/Union Territories.
5. Lok Sabha Secretariat.
6. Rajya Sabha Secretariat.
7. Prime Minister's Secretariat.
8. Cabinet Secretariat.
9. The Chairman, Cow Protection Committee, New Delhi.
10. All Members of Cow Protection Committee.
11. Secretary, Cow Protection Committee.
12. Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti.
13. I.C.A.R., New Delhi.
14. E. I., E.II., E.III, E.IV, E.V., Accounts I & II and Budget Section.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

**Programme II Section**

RESOLUTION

*New Delhi, the 18th March* 1971

*No. F.*4-13/70-*Plg.II/PR 1*.—Government has been pleased to make the following rules for grants-in-aid to Societies/Institutions doing research in the field of Social Sciences. They will come into force immediately.

SUBJECT :—*Rules regarding Grants-in-aid to Societies and Institutions (doing research in the field of Social Sciences) framed under Rule* 12(a) *of the Delegation of Financial Powers Rules,* 1958 *with the concurrence of the Ministry of Finance* vide *their U.O. No.* 635/*E II-A*/71, *dated* 4-3-1971.

I. *Eligibility*

1. A Society/institution shall be deemed to be eligible for grants-in-aid under these rules if—

(a) It is of an all-India character in the sense that its facilities will be open to students and social scientists in all parts of the country, its faculty is selected on a nation-wide basis, and the core of its work is of national significance.

(b) It should have been in existence for not less than five years;

(c) It should not be eligible for assistance from the U.G.C.;

(d) It is registered under the Societies Registration Act of 1860 or as a Public Trust; and

(e) It is adjudged as a society/institution of excellence in the field of Social Sciences on the basis of the standing and professional competence of its staff, the quantum and quality of its research output, its publications and its status in the profession by a Visiting Committee of social scientists consisting of the representatives of Government, UGC and the ICSSR.

2. When a society/institution applies for the first time for a grant-in-aid under these Rules, its request shall, after due scrutiny, be referred to a Visiting Committee which shall report on all matters referred to in Rule 1(e), its financial status, and such other additional matters as Government may direct. On receipt of the Report of the Committee, Government shall decide that the society/institution is/is not eligible for assistance under the scheme.

II. *Pattern & Types of Assistance*

3. Grants-in-aid sanctioned under the scheme will cover assistance for :—

(a) *Development* i.e. grants given, during a plan period, on salaries and allowances of approved professional staff (including personnel of Library, Documentation, etc. Services) and also for research fellowships *and* on capital expenditure for construction of buildings and provision of equipment; and

(b) *Maintenance* i.e. grants given for recurring expenditure on the same items as are mentioned in (a) above but only for posts and fellowships which have been in existence for a period of not less than five years and have been assisted under (a) above.

4(1): The grant-in-aid sanctioned for any society/institutions under Rule 3 may be :

(a) a lump sum grant for a specified period; or

(b) a recurring grant at such percentage of its maintenance and developmental expenditure on professional staff and services as Government may, from time to time, determine, subject to a ceiling of fifty per cent of the approved expenditure. The grant will be further *subject to a ceiling of Rs.* 2.5 *lakhs;* or

(c) Grants for capital expenditure not exceeding *fifty per cent* of the total cost, *subject to a ceiling of Rs. One lakh.*

4(2) : Grants-in-aid for administrative expenditure will be given at 25 per cent of the approved expenditure, *subject to a ceiling of Rs.* 10,000 *per annum.*

4(3) : Research or other projects which are eligible for assistance from the schemes of the ICSSR will not be assisted under this scheme.

III. *Procedures*

5. Grants-in-aid, recurring (maintenance and development) and capital, may be sanctioned to society/institution after a security of the following documents :—

(a) Annual Report for the preceding year and a Programme of Activities for the current year;

(b) Audited statement or accounts for the preceding three years and budget estimates for the current year, including a statement on utilisation of grants already sanctioned;

(c) Plans, estimates, etc. for construction of building;

(d) Lists of equipment proposed to be purchased with prices;

(e) A detailed description of the project/scheme for which assistance is sought along with its duration, plan of implementation, and objects;

(f) Financial statement of the project/scheme giving item-wise details of recurring and non-recurring expenditure separately and sources from which funds are proposed to be raised; and

6. (a) The recurring grant which includes maintenance and development grants, due to be paid in a year shall be paid in quarterly instalments.

(b) The first instalment to be paid in April shall be for a period of wto months. The second instalment will be paid in July *after* the institution submits at least unaudited statements of accounts.

(c) The Society/Institution shall forward to Government, before the end of October, (i) an audited statement of accounts for the preceding year ending March 31, and (ii) a statement certified by its Head showing accounts of receipts and expenditure for the preceding two quarterly instalments.

(d) The third instalment of the grants will be paid in the month of November. In regard to this instalment, if there are any items regarding which a clarification is required, the amount asked for by the society/institution will be reduced to the extent of the amount in respect of which such clarification has been asked.

(e) The fourth instalment would be paid in the month of February.

(f) Before the fourth instalment is paid, the society/institution shall furnish a statement of accounts against the grants given during the last three quarters and an estimate of expenditure for the remaining period of the financial year. Any adjustments found necessary after sanction of the grants for the first three quarters as a result of the audited accounts or for other reasons may be made while sanctioning the final instalment of the grant.

(g) The capital grants sanctioned shall be paid, as and when necessary, depending upon the progress of the work.

IV. *Conditions of Assistance : General*

7. The society/institution should exercise the utmost economy in their working as also in respect of expenditure from the grants for buildings and equipment.

8. All expenditure to be met out of the grants shall be sanctioned by the Governing Body of the society/institution or other duly constituted body which is authorised to sanction such expenditure or by the officers of the society/institution within the limits of specific authority delegated to them.

9. Grants under a particular head shall not be utilised for a purpose other than that for which it is intended except with the previous approval of Government.

10. Where a grant has been given by Government under specific conditions accepted by a society/institution shall, if it does not comply with these conditions, be liable to refund the grant already received in such manner as may be required by the Government which may also stop any further grant to the society/institution.

11. The scales of salaries and allowances of the staff of the society/institution shall be on the basis approved by the University Grants Comsimsion or Government of India, as the case may be.

12. There should be equal opportunity of employment for men and women of all States on the staff of the society/institution. Anpointments shall be made by a duly constituted Selection Committee appointed by the management of the society/institution.

13. Where a grant has been given to a society/institution for Research Fellowships, the rules regarding the Fellowships shall be approved by Government. The names of selected Fellows shall be intimated to Government from time to time and the progress reports of their work shall be submitted to Government as required.

14. Where buildings are to be constructed with the aid of Government, the plans and estimates thereof thereof should receive their prior approval, and their officers shall have right of inspection of the work at every stage.

15. Orders for the purchase of equipment for which a grant-in-aid is sanctioned shall, unless a strong justification can be provided otherwise, be placed within the country and imports shall be limited to the inescapable items which are not available locally. Prior concurrence of Government shall be obtained for placing orders with foreign firms.

16. All assets (which expression shall include all buildings and pieces of equipment costing more than Rs. one thousand each) shall be deemed to be the property of Government held by the society/institution in Trust. The institution shall maintain a register of such assets in the prescribed form and shall furnish a copy to the Government. These shall not be mortgaged, sold, transferred or otherwise alienated in any manner without the approval of Government. Government shall also have the right to take them back into its possession if they are no longer needed by the society/institution for its use or claim refund of the grant-in-aid paid to the society/institution.

17. Before the drawal of grants, the institution shall execute a bond in the prescribed form.

18. The institutions receiving grants-in-aid under this Scheme shall submit an achievement-*cum*-performance report every year in the prescribed form. Government will also arrange periodical reviews of the work of the institutions assisted under the Scheme, provided that one such review shall be held in a period of five years.

19. It shall be obligatory on institutions to surrender any unspent balance of the grant after expiry of the period within which the grant is required to be spent.

20. The provision of Rules 148 to 151 of the G.F.R. and of the Ministry of Finance, O.M. No. 11(39)-F.11(a)/56, dated 4-1-57 to the effect that recurring grant of Rs. 1.00 lakh or above and a non-recurring grant exceeding Rs. 5.00 lakhs be sanctioned subject to the condition that the accounts of the grantee will be open to test-check by the Comptroller and Auditor-General of India at his discretion, should be followed for payment of grants under these Rules.

V. *Conditions of Grants-in-aid : Special*

21. A society/institution which receives a recurring grant of Rupees one lakh or more shall be subject to the following additional conditions :—

(a) The society/institution shall constitute a Finance Committee of which the Internal Financial Adviser of the Ministry of Education & Youth Services (or his representative) shall be a Member. The Finance Committee shall meet in August or September each year to formulate the budget proposals of the society/institutions for the ensuing year; and the proposals approved by the Finance Committee shall be sent to the Ministry of Education & Youth Services not later than 30th September;

(b) The ICSSR shall nominate two representatives on the Governing Body of the Society/institutions;

(c) The constitution of the society/institution shall be got approved by Government and the society/institution shall agree not to make any change therein without the prior approval of Government; and

(d) The working of a society/institution receiving a grant under this scheme shall be periodically reviewed in such manner as Government may direct.

VI. *Withdrawal of Assistance*

22. If a society/institution declared to be eligible under Rule 2 ceases to fulfil the conditions of eligibility laid down in Rule 1, or persistently violates any of the conditions of grants-in-aid, Government may, after giving due notice to the society/institution, declare the society/institutions as ineligible to receive assistance under these Rules and may pass such orders as it may deem necessary regarding the disposal of the assets created under grants-in-aid given earlier to the society/institution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

T. P. SINGH, Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
**(S. S. & D. Division)**

*New Delhi, the 14th April 1971*

*No. F.14(3)/69-SR.I.*—Under the provisions of Article 89-(iii) of the Articles of Association of the National Research Development Corporation of India, the President is pleased to appoint Shri S. D. Nargolwala, I.C.S., Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, as a Director on the Board of Directors of the Corporation up to 31st July, 1971 *vice* Shri S. R. Mehta.

B. M. DESHBHRATAR, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION
**Department of Rehabilitation**

### RESOLUTION

SUBJECT :—*Board of Rehabilitation.*

*No. 4(8)/69-B.O.R.*—The Government of India have accepted the resignation from the membership of the Board of Rehabilitation of Shri R. Venkataraman whose appointment was notified in the Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RS.V, dated the 30th January, 1968.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Members of the Board.
2. The Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, and the Private and Military Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. S. KAHLON, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971